बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2, पटना–800001

कार्यालय आदेश

मद सं0:–155:11

विषयः– **बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों से क्षति/गबन एवं असमायोजित/विचलित अग्रिम की वसूलनीय राशि पर ब्याज की गणना के संबंध में।**

निगम निदेशक पर्षद की दिनांक–13.11.2001 को हुई 104वीं बैठक के मद सं0–104:4 में निगम के गोदामों में भण्डारित सामग्रियों में अमान्य क्षति एवं गबन की राशि पर 18 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की गणना करके क्षति एवं गबन की मूल राशि के साथ–साथ ब्याज की वसूली संबंधित पदाधिकारियों/कर्मिकों से करने का निर्णय लिया गया था। एतद्संबंधी कार्यालय आदेश ज्ञापांक–7338 दिनांक–24.11.2001 निर्गत है।

पुनः क्षति/गबन की राशि पर ब्याज दर का निर्धारण के संबंध में निगम निदेशक पर्षद की दिनांक–02.04.2004 को हुई 110वीं0 बैठक के मद सं0– 110:11 में निगम निदेशक पर्षद द्वारा लिया गया निर्णय निम्न प्रकार हैः–

''माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में निदेशक पर्षद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित किया जाय एवं इससे हट कर अन्य मामलों में बैंक के Lending rate की दर पर सूद की वसूली की जाय, यह आदेश निर्णय की तिथि के बाद होने वाली क्षति/गबन के मामलों पर ही लागू होगा।''

निदेशक पर्षद की 110वीं0 बैठक के मद संख्या–110:11 में लिये गये उक्त निर्णय के अनुपालन में कार्यालय आदेश संख्या संख्या–2862 दिनांक–24.04.2004 निर्गत है, जिसमें उल्लेख है किः–

''1. क्षति/गबन के ऐसे मामले जिनमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया हो या जिन मामलों में किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही निष्पादित कर निर्णय लेने में निगम प्रशासन द्वारा प्रत्ययक्ष रूप से काफी विलम्ब किया गया हो तो वैसे मामलों में 6 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज की वसूली संबंधित पदाधिकारी/कार्मिक से की जायेगी।

2. उपर के कण्डिका–1 के अतिरिक्त क्षति/गबन के अन्य मामलों पर 18 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जायेगी।

3. दिनांक–02.04.2004 के प्रभाव से प्राप्त खाद्यान्नों पर होने वाले क्षति/गबन राशि पर बैंक लैण्डिग (Bank Lending Rate) से ब्याज की वसूली संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी से की जायेगी।''

उक्त कार्यालय आदेश ज्ञापांक–2862 दिनांक–24.04.2004 का संशोधित कार्यालय आदेश ज्ञापांक–542 दिनांक–22.01.2005 निर्गत है, जिसमें कार्यालय आदेश ज्ञापांक–2862 दिनांक–24.04.2004 के कंडिका–3 (तीन) को संशोधित कर ''दिनांक–01.04.2004 के प्रभाव से सभी प्रकार के क्षति/गबन के मूल राशि पर बैंक लैण्डिग (Bank Lending Rate) पर ब्याज वसूली की जायेगी'' पढ़ा जाना लिखा गया है।

श्री रूप नारायण दास, सहायक प्रबंधक (से0नि0) के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में क्षति/गबन की प्रमाणित मूल राशि पर वर्ष 2003–04 तक 18 प्रतिशत साधारण एवं वर्ष 2004–05 से बैंक लैण्डिग दर (Bank Lending Rate) त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज की वसूली किया जाना आदेशित है।

लागातार .....

कई ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं कि निगम के पदाधिकारियों/कार्मिकों को निगम कार्य- यथा विभागीय परिवहन इत्यादि के लिए दी गयी अग्रिम राशि के विरूद्ध संबंधित पदाधिकारी/कार्मिक द्वारा या तो विपत्र जमा नहीं किया जाता है या उनके द्वारा समर्पित विपत्रों की जाँचोंपरान्त अग्रिम की पूर्ण राशि का समायोजन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में असमायोजित एवं विचलित अग्रिम की राशि की वसूली भी सूद सहित करने की कार्रवाई की जाती है।

निगम निदेशक पर्षद द्वारा लिये गये उक्त निर्णयानुसार अब तक क्षति/गबन की मूल राशि एवं असमायोजित/विचलित अग्रिम की राशि पर क्षति/गबन एवं असमायोजित/विचलित अग्रिम के वर्ष से वसूली पूरी होने तक ब्याज की गणना करके मूल राशि के साथ-साथ ब्याज की वसूली संबंधित पदाधिकारी/कार्मिक से की जाती रही है।

सेवा निवृत कर्मियों के मामले में ब्याज की गणना संबंधित कर्मी की सेवा निवृति की तिथि के बाद तक किये जाने पर कई वादों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आपत्ति करते हुए सेवा निवृति की तिथि तक ब्याज की गणना करने का आदेश दिया गया है, उदारहरण स्वरूप C.W.J.C No.-8694/2017 हरेकृष्ण लाल दास बनाम बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईस कारपोरेशन लि0 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-23.07.2018 को पारित आदेश इस प्रकार है:-

" As far as charging of interest in terms of the resolution of the Board of Directors dated 13.11.2001 is concerned, the Court would only clarify that on the day the petitioner superannuated i.e., 28.02.2008, the clock would stop, at least with regard to charging of interest by the Corporation, for the reasons that on that day, the master servant relation having come to an end, whatever was due and payable to the petitioner from the side of the Corporation was in the possession of the Corporation which was holding it in trust for the petitioner. Once an amount due and payable to the petitioner was being held by the Corporation, whatever was due and payable by the petitioner to the Corporation had to be adjusted on that very day. The same not having been done, would not fasten the petitioner with the liability to pay interest in terms of the resolution dated 13.11.2001, beyond his date of superannuation. Thus, the authorities are required to rework their calculation as on the date of superannuation of the petitioner with regard to calculating interest in terms of the resolution dated 13.11.2001. Once the same is done, the Corporation shall communicate to the petitioner with regard to either any dues which he is liable to pay to the Corporation or with regard to any amount which the Corporation, after such recalculation finds that may be payable to the petitioner, in which case, the same shall be paid within four weeks of the communication of the order."

ऐसे सेवा निवृत पदाधिकारी/कर्मी जिनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का निष्पादन नहीं हुआ हो, उनके विरूद्ध भुगतेय एवं वसूलनीय राशि की वसूली विभागीय कार्यवाही में निर्धारित दण्ड से प्रभावित होता है।

निगम निदेशक पर्षद द्वारा लिये गये पूर्व के उक्त निर्णयों एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में क्षति/गबन एवं असमायोजित अग्रिम/विचलित अग्रिम की वसूलनीय राशि पर ब्याज की गणना एवं वसूली के संबंध में निगम निदेशक पर्षद की दिनांक-18.01.2019 को हुई 155वीं0 बैठक के मद सं0-155:11 में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे Deferred करते हुए आगामी बैठक में रखने के निर्णय के आलोक में निगम निदेशक पर्षद की दिनांक-25.04.2019 को हुई 156वीं0 बैठक में लिया गया निर्णय निम्न प्रकार है:-

"Upon discussion, the board approved the agenda unanimously."

निगम निदेशक पर्षद द्वारा लिये गये पूर्व के उक्त निर्णयों एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में क्षति/गबन एवं

लागातार .....

असमायोजित अग्रिम/विचलित अग्रिम की वसूलनीय राशि पर ब्याज की गणना एवं वसूली के संबंध में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम निदेशक पर्षद द्वारा दिनांक–25.04.2019 को हुई 156वीं0 बैठक के मद सं0–155:11 में विचारोपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया है:–

(क) **कार्यरत पदाधिकारियों/कार्मिकों के मामलें में**

I क्षति/गबन एवं असमायोजित/विचलित अग्रिम के वैसे मामलें जिनमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया हो या जिन मामलों में किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही निष्पादित कर निर्णय लेने में निगम प्रशासन द्वारा अपरिहार्य कारणों से विलम्ब किया हो, तो वैसे मामलों में वर्ष 2003–04 तक 6% के साधारण ब्याज की दर से वसूली संबंधित पदाधिकारी/कर्मी से की जायेगी।

II कंडिका– I के अतिरिक्त क्षति/गबन एवं असमायोजित/विचलित अग्रिम राशि पर वर्ष 2003–04 तक 18% के साधारण ब्याज के दर से वसूली संबंधित पदाधिकारी/कर्मी से की जायेगी।

III वर्ष 2004–05 (01.04.2004 के प्रभाव से) प्राप्त खाद्यान्नों में क्षति/गबन एवं असमायोजित/विचलित अग्रिम के सभी मामलें में वसूली पूरी होने तक निर्धारित बैंक लैण्डिंग दर (Bank Landing Rate) से ब्याज की वसूली संबंधित पदाधिकारी/कर्मी से की जायेगी।

(ख) **सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मिकों के मामलें में**

I सेवा निवृत पदाधिकारियों/कार्मिकों के मामले में कंड़िका–(क) में अंकित प्रावधान के अनुसार गणित ब्याज राशि के साथ–साथ वसूलनीय मूल राशि संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को सेवा निवृत्ति की तिथि को देय सेवान्त लाभ यथा–उपादान एवं अव्यवहृत अर्जित अवकाश की भुगतेय राशि तथा बकाया वेतन–भत्ता (यदि देय हो) से वसूलनीय/ समायोजनीय होगी।

II सेवा निवृत्ति की तिथि को सेवान्त लाभ तथा बकाया वेतन–भत्ता (यदि देय हो) की भुगतेय राशि से क्षति/गबन एवं असमायोजित/विचलित अग्रिम की मूल राशि एवं ब्याज की वसूली/समायोजन के पश्चात् ब्याज एवं मूल की शेष वसूलनीय राशि (यदि शेष हो) पर निर्धारित बैंक लैण्डिंग दर (Bank Landing Rate) से अद्यतन ब्याज की गणना कर उसकी वसूली की जायेगी।

III **वैसे सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मी जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो :–**

ऐसे सेवा निवृत पदाधिकारी/कर्मी जिनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का निष्पादन उनके सेवाकाल में नहीं हुआ हो, उनके विरूद्ध क्षति/गबन एवं असमायोजित/विचलित अग्रिम की मूल राशि एवं ब्याज की राशि की वसूली, सेवान्त लाभ तथा बकाया वेतन–भत्ता (यदि देय हो) की भुगतेय राशि से वसूली/समायोजन की कार्रवाई विभागीय कार्यवाही में निर्धारित दण्ड के अतिरिक्त होगा। ऐसे मामले में ब्याज की गणना सेवा निवृति तिथि के स्थान पर विभागीय कार्यवाही में आदेश निर्गत की तिथि Cut of Date होगा।

(ग) क्षति/गबन एवं असामायोजित/विचलित अग्रिम राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को भुगतेय वेतन–भत्ता, बकाया वेतन–भत्ता, सेवान्त लाभ यथा–उपादान एवं अब्यवहृत अर्जित अवकाश के रूप में भुगतेय राशि से वसूली की जा सकेगी। उक्त वसूली के उपरांत अवशेष वसूलनीय राशि की वसूली Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act-1914 के तहत नीलामपत्रवाद दायर कर की जायेगी।

लागातार .....

अतः निगम निदेशक पर्षद की दिनांक–25.04.2019 को हुई 156वीं0 बैठक के मद सं0–155:11 में लिए गये उक्त निर्णयानुसार क्षति/गबन एवं असमायोजित/विचलित अग्रिम की वसूलनीय राशि पर ब्याज की गणना कर क्षति/गबन एवं असमायोजित/विचलित अग्रिम की मूल राशि के साथ–साथ ब्याज की वसूली संबंधित पदाधिकारी/कार्मिक से की जायेगी।

निदेशक पर्षद की दिनांक–25.04.2019 की 156वीं बैठक के मद सं0–155:11 द्वारा अनुमोदित।

ह0/–
(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक– 06:01:45:01:2005 (पार्ट) 5308 दावा/दिनांक– 21/5/19

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/ कम्पनी सचिव, निगम मुख्यालय, पटना/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/2019
(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।